



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित)

(ISO 9001:2015 Certified)

PRESS RELEASE

28.06.2026

पीएफसी एवं आरईसी के निदेशक मंडलों द्वारा विलय योजना को स्वीकृति

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) तथा आरईसी लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक मंडलों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत आरईसी (ट्रांसफरर कंपनी) के पीएफसी (ट्रांसफरी कंपनी) में विलय तथा दोनों कंपनियों के संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के लिए प्रस्तावित विलय योजना (योजना) को अनुमोदन प्रदान किया है। आरईसी के पीएफसी में विलय से 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल ऋण पोर्टफोलियो वाली एक वित्तपोषण संस्था का गठन होगा।

यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित सभी अनुमोदनों एवं सहमतियों की प्राप्ति पर निर्भर करेगी एवं उसके अध्यक्षीन होगी, जिसमें दोनों कंपनियों के संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के अनुमोदन, तथा सभी संबंधित विनियामक एवं सरकारी प्राधिकरणों से अनुमोदन शामिल हैं; और विलय के पश्चात गठित संस्था का कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'सरकारी कंपनी' के रूप में पात्र बने रहना तथा भारत सरकार द्वारा (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) उसमें बहुमत वोटिंग अधिकार एवं नियंत्रण बनाए रखना भी जारी रहेगा।

योजना एवं मूल्यन रिपोर्ट के अनुसार, आरईसी के पीएफसी में प्रस्तावित विलय के लिए शेयर विनिमय अनुपात यह होगा कि आरईसी के 10/- रुपए प्रत्येक के 100 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बदले पीएफसी के 10/- रुपए प्रत्येक के 88 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो आरईसी के उन शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे, जिनके नाम उस रिकॉर्ड तिथि पर दर्ज होंगे, जिसका निर्धारण भविष्य में पीएफसी एवं आरईसी के निदेशक मंडलों (जैसा लागू हो) द्वारा किया जाएगा।